भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2419
सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)

एझुकोने (कोल्लम) में ईएसआईसी अस्पताल

†2419. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केरल के कोल्लम जिले के एझुकोने में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल में बुनियादी ढांचा, बिस्तरों की संख्या, उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं और श्रमशक्ति की स्थिति सहित वर्तमान विकास का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का क्षेत्र में बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों की बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल मांगों को पूरा करने के लिए उक्त अस्पताल को उन्नत या विस्तारित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दक्षिणी केरल में संसाधनों का अनुकूलन करने और तृतीयक चिकित्सा देखभाल को मजबूत करने के लिए कोल्लम में प्रस्तावित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के सैटेलाइट परिसर के रूप में एझुकोने में ईएसआईसी अस्पताल को नामित करने की संभावना की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए किसी व्यवहार्यता अध्ययन, प्रस्ताव या अंतर-विभागीय परामर्श का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एझुकोने ईएसआईसी अस्पताल को उन्नत बनाने या कोल्लम में बनने वाले ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के साथ एकीकृत करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित समय-सीमा और वित्तीय परिव्यय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, कोल्लम जिले में 1,69,410 बीमित व्यक्ति (आईपी) थे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ईएसआई लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए केरल के कोल्लम जिले के एझुकोने में 150 बिस्तरों वाला अस्पताल संचालित करता है। इस अस्पताल में उपलब्ध प्रमुख चिकित्सा सुविधाओं में चिकित्सा, सर्जरी, बाल चिकित्सा, ऑर्थोपेडिक्स, स्त्री रोग और प्रसूति, डेंटल, ऑफथैलमोलॉजी, रेडियोलॉजी, कीमोथेरेपी, ईएनटी और अन्य सहयोगी सेवाएं शामिल हैं। इस अस्पताल में 233 चिकित्सा कर्मी हैं तथा 161 प्रशासनिक कार्मिक हैं|

इसके अलावा, ईएसआईसी आईपी की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिले में 55 ईएसआईएस डिस्पेंसरियों के साथ असरामम, कोल्लम में 200 बिस्तरों वाला ईएसआईसी अस्पताल भी संचालित करता है।

(ग) से (ङ): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****